

# न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या  
12/13/2023

रजि० नं० 2023/  
2023 /256

प्रवेश तिथि  
20.12.2023

निर्णय दिनांक  
05.06.2024

1- विरेन्द्र कुमार पुत्र इन्दर सिंह जाति अहीर निवासी मकान न० 1234 सैक्टर- 31, गुरुग्राम (हरियाणा)  
हाल काश्तकार वाके ग्राम अलापुर जट्ट तहसील तिजारा जिला खैरथल - तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

## बनाम

1- तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल - तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार तिजारा के शुद्धि पत्र में वर्णित आराजी खसरा न० 85 रकबा 0.32 है० वाके ग्राम अलापुर जट्ट का नामान्तरण संख्या 32 दिनांक 28.01.2022 तहसील तिजारा जिला खैरथल-तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित-

01. श्री सतीश कुमार शर्मा

-वकील अपीलान्ट

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के के शुद्धि पत्र में वर्णित आराजी खसरा न० 85 रकबा 0.32 है० वाके ग्राम अलापुर जट्ट का नामान्तरण संख्या 32 दिनांक 28.01.2022 तहसील तिजारा जिला खैरथल-तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि शुद्धि पत्र में वर्णित आराजी खसरा न० 85 रकबा 0.32 है० वाके ग्राम अलापुर जट्ट का नामान्तरण संख्या 32 दिनांक 28.01.2022 के बाबत यह अपील तहसीलदार तिजारा के विरुद्ध पेश कि गयी है, आराजी खसरा न० 85 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.32) है० वाके ग्राम अलापुर जट्ट पटवार हल्का थॉस मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2047 लगायत 2050 में नजीर, बुद्धा पिसरान इलाईबक्स 1/2 भाग व गोदनामा नामान्तरण संख्या 76 के आधार पर आसू मुतबन्ना अलीवक्स 1/2 भाग खातेदारी का अमल दरामद था, आराजी खसरा न० 85 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.32) है० का 1/2 भाग आसू मुतबन्ना अलीवक्स ने रूजदार पुत्र सबदल को जरिये रजिस्ट्रड बयनामा बाकब्जा, बाप्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया। जिसका नामान्तरण संख्या 141 के आधार पर खरीददार रूजदार पुत्र सबदल के नाम का खातेदारी का अमल दरामद हो गया। रूजदार पुत्र सबदल ने अपनी खरीदशुदा खातेदारी की आराजी खसरा न० 85 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.32) है० का 1/2 भाग का बेचान मन्दप्रकाश पुत्र चन्द्रप्रकाश को जरिये रजिस्ट्रड बयनामा बाकब्जा, बाप्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया। जिसका नामान्तरण संख्या 274/07.12.2006 मन्दप्रकाश के नाम दर्ज व मन्जूर होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2063 लगायत 2066 में मन्दप्रकाश के नाम खातेदारी में अमल दरामद हो गया उक्त मन्दप्रकाश ने आराजी खसरा न० 85 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.32) है० का 1/2 भाग का बेचान मिन अपीलान्ट को जरिये रजिस्ट्रड बयनामा बाकब्जा, बाप्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया। जिसका नामान्तरण संख्या 338/31.12.2007 को मिन अपीलान्ट के नाम दर्ज व मन्जूर होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2063 लगायत 2066 में अमल होकर नोट लगाया गया। साथ ही उक्त आराजी खसरा न० 85 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.32) है० का 1/4 भाग का बेचान नजीर पुत्र इलाईबक्स ने मिन अपीलान्ट को जरिये रजिस्ट्रड बयनामा बाकब्जा, बाप्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया जिसका नामान्तरण संख्या 337/31.12.2007 को मिन अपीलान्ट के नाम दर्ज व मन्जूर होकर राजस्व रिकार्ड में अमल कर नोट लगा दिया। जमाबन्दी सम्वत 2067-2070 में आराजी खसरा न० 85 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.32) है० का 3/4 भाग का बिज खातेदार काश्तकार हो गया। आसू पुत्र मुतबन्ना अलावक्स के गोदनामा का नामान्तरण संख्या 76 के बाबत एक अपील संख्या

8/98 बअनुवान नजीर वगै० बनाम आसू वगै० न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहाँ केवल मात्र आराजी खसरा न० 292, 290, 316, 296 वाके ग्राम अलापुर जटट की बाबत विचारधीन थी, जिसमें आराजी खसरा न० 85 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.32) है० का कोई हवाला नहीं था न ही इस आराजी खसरा न० 85 के बाबत कोई अनुतोष चाहा गया था। जबकि आराजी खसरा न० 85 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.32) है० भी गोदनामा नामान्तरण संख्या 76 में दर्ज था। उक्त अपील संख्या 8/98 को दिनांक 10.03.2008 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा निर्णय पारित किया गया जिसमें यह उल्लेखित किया है, कि अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 06.04.87 ग्राम पंचायत जैरोली तहसील तिजारा बाबत नामान्तरण संख्या 76 वाके ग्राम अलापुर जटट तहसील तिजारा निरस्त किया जाता है, परन्तु तहसीलदार तिजारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि वो विवादित नामान्तरण संख्या 76 का निर्णय नामान्तरण संख्या 66 दिनांक 18.10.85 वाके ग्राम अलापुर जटट को मध्येनजर रखते हुये उभय पक्ष को सुना जाकर पुनः निर्णय पारित करे। तहसीलदार तिजारा द्वारा उक्त क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में पत्रावली की आदेशिका दिनांक 21.11.2011 व 17.04.2013 की आदेशिकाओं में कार्यवाही को रथगित कर पत्रावली को पैन्डिंग रखा हुआ था। जबकि नामान्तरण संख्या 76 की पुस्त पर तहसीलदार तिजारा के द्वारा रिमाण्ड पत्रावली का निर्णय करने से पहले दिनांक 23.03.2012 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2008, अपील संख्या 8/98 माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2011 अपील संख्या 27/8 बअनुवान शिवचरण गुप्ता बनाम नजीर वगै० के परिपेक्ष्य में नामान्तरण खारिज किया गया का नोट अंकित करते समय विधि व कानून के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना की गयी है। तहत अदालत के द्वारा निर्णय परित करने से पूर्व अपीलान्त को कोई सूचना दी न ही सुनवाई का कोई मौका दिया गया। विधि विरुद्ध नामान्तरण संख्या 76 को खारिज किया गया है। जबकि मिन अपीलान्त की खरीदशुदा आराजी की बाबत कोई अनुतोष नहीं चॉहा गया था। तहसीलदार तिजारा ने शुद्धि पत्र में वर्णित आराजी खसरा न० 85 रकबा 0.32 है० ग्राम अलापुर जटट का नामान्तरण संख्या 32 दिनांक 28.1.2022 को निर्णित किया है, मिन अपीलान्त की आराजी खसरा न० 85 रकबा 0.32 है० का 1/2 भाग अमल जो आसू पुत्र मुतबन्ना से खरीदशुदा थी, के अमल को हजफ कर मृतक अलाबक्स पुत्र पिर खा के नाम 1/2 भाग का अमल राजस्व रिकार्ड में कर दिया जो समस्त कार्यवाही विधि विरुद्ध व गैरकानूनी तरीके से की गयी है। मिन अपीलान्त ने दिनांक 03.10.2023 को तहसीलदार तिजारा को आवेदन पेश कर नामान्तरण संख्या 32 दिनांक 28.01.2022 में मुर्दजे आराजी खसरा न० 85 को शुद्धि कर पूर्व की भौति मिन अपीलान्त के नाम आराजी को खातेदारी में कराने का निवेदन किया जिस पर रिपोर्ट प्राप्त की गयी जो दिनांक 25.10.2023 को रेस्पोंडेंट ने मिन अपीलान्त के आवेदन पत्र को निरस्त कर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने का आदेश दिया। जिससे मिन अपीलान्त के प्रदत्त काश्तकारी खातेदारी के हकूको पर कुठाराघात है। मिन अपीलान्त सीधा सादा व्यक्ति था जिसे कानून कायदे की कतई जानकारी नहीं रही है, और न ही उक्त आलोच्य आदेश की कोई जानकारी रही है, मिन अपीलान्त अपनी आराजी की सार सम्भाल करता आ रहा है। मिन अपीलान्त को अपनी खरीदशुदा खातेदारी की भूमि को बैंक में रहन रखने की जरूरत हुयी और पटवारी हल्का के पास जाकर जमाबन्दी देखी तो उसमें मिन अपीलान्त की खरीदशुदा खातेदारी की भूमि आराजी खसरा न० 85 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.32) है० का 1/2 भाग का अमल मृतक अलाबक्स पुत्र पिर खा के नाम रिकार्ड में होना पाया जिस पर समस्त कागजात की नकुलात दिनांक 21.08.2023 लकर कानूनी मशवरा प्राप्त कर मिन अपीलान्त ने बिना देरी किये यह अपील न्यायालय को दिनांक 19.12.2023 को पेश की गयी है। अपील किये जाने में हुये विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया है, कि अपील अपीलान्त अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2022 निरस्त किया जावे।

रेस्पोंडेंट लेण्ड होल्डर तहसीलदार तिजारा वक्त बहस उपस्थित होकर अपील में वर्णित तथ्यों का विन्दवार जवाब तैयार कर पेश किया गया। जो शामिल मिसाल किया गया। लेण्ड होल्डर तहसीलदार तिजारा ने अपनी बहस में निवेदन किया है, कि नामान्तरण संख्या 76 पर जो निरस्तीका नोट अंकित किया गया है, वह माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में लगाया गया है, तथा नामान्तरण संख्या 32 शुद्धि पत्र से दर्ज से दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया। व साबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार किया गया है। अपीलान्त का हिस्सा अनुसार रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपील अपीलान्त खारिज की जावे।


हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्त की बहस पर गहन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्तान ने अपीलान्तान आदेश शुद्धि पत्र में वर्णित आराजी खसरा न० 85 रकबा 0.32 है० वाके ग्राम अलापुर जटट का नामान्तरण संख्या 32 दिनांक 28.01.2022 तहसील तिजारा जिला खैरथल-तिजारा के विरुद्ध अपील

न्यायालय को दिनांक 19.12.2023 को पेश की गयी है, जो करीब 10 माह 20 दिवस पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2022 की जानकारी दिनांक 21.08.2023 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु नरगी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्तान्दर अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्त का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न० 85 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.32) है० वाके ग्राम अलापुर जट्ट पटवार हल्का थौंस गुताविक जमाबन्दी सम्वत 2047 लगायत 2050 में नजीर, बुद्धा पिसरान इलाईबक्स 1/2 भाग व गोदनामा नामान्तकरण संख्या 76 के आधार पर आंसू मुतबन्ना अलीबक्स 1/2 भाग खातेदारी का अमल दरामद था, आराजी खसरा न० 85 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.32) है० का 1/2 भाग आसू गुतबन्ना अलीबक्स ने रूजदार पुत्र सबदल को जरिये रजिस्ट्रड बयनामा बाकब्जा, बाप्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया। जिसका नामान्तकरण संख्या 141 के आधार पर खरीददार रूजदार पुत्र सबदल के नाम का खातेदारी का अमल दरामद हो गया। रूजदार पुत्र सबदल ने अपनी खरीदशुदा खातेदारी की आराजी खसरा न० 85 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.32) है० का 1/2 भाग का बेचान मन्दप्रकाश पुत्र चन्द्रप्रकाश को जरिये रजिस्ट्रड बयनामा बाकब्जा, बाप्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया। जिसका नामान्तकरण संख्या 274/07.12.2006 मन्दप्रकाश के नाम दर्ज व मन्जूर होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2063 लगायत 2066 में मन्दप्रकाश के नाम खातेदारी में अमल दरामद हो गया उक्त मन्दप्रकाश ने आराजी खसरा न० 85 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.32) है० का 1/2 भाग का बेचान मिन अपीलान्त को जरिये रजिस्ट्रड बयनामा बाकब्जा, बाप्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया। जिसका नामान्तकरण संख्या 338/31.12.2007 को मिन अपीलान्त के नाम दर्ज व मन्जूर होकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2063 लगायत 2066 में अमल होकर नोट लगाया गया। साथ ही उक्त आराजी खसरा न० 85, रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.32) है० का 1/4 भाग का बेचान नजीर पुत्र इलाईबक्स ने मिन अपीलान्त को जरिये रजिस्ट्रड बयनामा बाकब्जा, बाप्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 337/31.12.2007 को मिन अपीलान्त के नाम दर्ज व मन्जूर होकर राजस्व रिकार्ड में अमल कर नोट लगा दिया। जमाबन्दी सम्वत 2067-2070 में आराजी खसरा न० 85 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.32) है० का 3/4 भाग काबिज खातेदार काशतकार हो गया। आसू पुत्र मुतबन्ना अलाबक्स के गोदनामा का नामान्तकरण संख्या 76 के बाबत एक अपील संख्या 8/98 बअनुवान नजीर वगै० बनाम आसू वगै० न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहाँ केवल मात्र आराजी खसरा न० 292, 290, 316, 296 वाके ग्राम अलापुर जट्ट की बाबत विचाराधीन थी, जिसमें आराजी खसरा न० 85 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.32) है० का कोई हवाला नहीं था न ही इस आराजी खसरा न० 85 के बाबत कोई अनुतोष चाहा गया था। जबकि आराजी खसरा न० 85 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा (0.32) है० भी गोदनामा नामान्तकरण संख्या 76 में दर्ज था। उक्त अपील संख्या 8/98 को दिनांक 10.03.2008 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा निर्णय पारित किया गया जिसमें यह उल्लेखित किया है, कि अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 06.04.87 ग्राम पंचायत जैरोली तहसील तिजारा बाबत नामान्तकरण संख्या 76 वाके ग्राम अलापुर जट्ट तहसील तिजारा निरस्त किया जाता है, प्रकरण तहसीलदार तिजारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि वो विवादित नामान्तकरण संख्या 76 का निर्णय नामान्तकरण संख्या 66 दिनांक 18.10.85 वाके ग्राम अलापुर जट्ट को मध्येनजर रखते हुये उभय पक्ष को सुना जाकर पुनः निर्णय पारित करे। तहसीलदार तिजारा द्वारा उक्त क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में पत्रावली की आदेशिका दिनांक 21.11.2011 व 17.04.2013 की आदेशिकाओं में कार्यवाही को स्थगित कर पत्रावली को पैन्डिंग रखा हुआ था। जबकि नामान्तकरण संख्या 76 की पुस्त पर तहसीलदार तिजारा के द्वारा रिमाण्ड पत्रावली का निर्णय करने से पहले दिनांक 23.03.2012 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2008, अपील संख्या 8/98 माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2011 अपील संख्या 27/8 बअनुवान शिवचरण गुप्ता बनाम नजीर वगै० के परिपेक्ष्य में नामान्तकरण खारिज किया गया का नोट अंकित करते समय विधि व कानून के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना की गयी है। तहत अदालत के द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्त को कोई सूचना दी न ही सुनवाई का कोई मौका दिया गया। विधि विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 76 को खारिज किया गया है। जबकि मिन अपीलान्त की खरीदशुदा आराजी की बाबत कोई अनुतोष नहीं चोँहा गया था। तहसीलदार तिजारा ने शुद्धि पत्र में वर्णित आराजी खसरा न० 85 रकबा 0.32 है० ग्राम अलापुर जट्ट का नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 28.1.2022 को निर्णित किया है, मिन अपीलान्त की आराजी खसरा न० 85 रकबा 0.32 है० का 1/2 भाग अमल जो आसू पुत्र मुतबन्ना से खरीदशुदा थी, के अमल को हजफ कर मृतक अलाबक्स पुत्र पिर खा के नाम 1/2 भाग का अमल राजस्व रिकार्ड में कर दिया गया। जो समस्त कार्यवाही विधि विरुद्ध व गैरकानूनी तरीके से की गयी है। मिन अपीलान्त ने दिनांक 03.10.2023 को तहसीलदार तिजारा को आवेदन पेश कर नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 28.01.2022 में

मुन्देजे आराजी खसरा न0 85 को शुद्धि कर पूर्व की गॉति गिन अपीलान्ट के नाम आराजी को खातेदारी में कराने का निवेदन किया जिस पर रिपोर्ट प्राप्त की गयी जो दिनांक 25.10.2023 को रेस्पोंडेन्ट ने मिन अपीलान्ट के आवेदन पत्र को निरस्त कर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने का आदेश दिया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण संख्या 76 पर जो निरस्तीका नोट अंकित किया गया है, वह माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 03.10.2011 उनवान शिचरण गुप्ता बनाम नजीर अपील संख्या 27/2008 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के निर्णय दिनांक 10.03.2008 उनवान नजीर बनाम आसू अपील संख्या 8/98 के परिपेक्ष में लगाया गया है, तथा नामान्तकरण संख्या 32 शुद्धि पत्र से दर्ज किया जाकर दिनांक 28.01.2022 निर्णित कर स्वीकार किया गया है। वह साबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार किया गया है। तहत अदालत द्वारा प्रकरण में विधिक जाँच कर कार्यवाही की गयी है, पारित निर्णयनामान्तकरण संख्या 32 शुद्धि पत्र निर्णय दिनांक 28.01.2022 ग्राम अलापुर जटट तहसील तिजारा न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तथा तहत अदालत तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2022 नामान्तकरण संख्या 32 शुद्धि पत्र ग्राम अलापुर जटट तहसील तिजारा यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(डॉ० आर्तिका शुक्ला)  
जिला कलक्टर  
खैरथल-तिजारा (राज०)

मह

1-

2-